



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

प्रकरण क्रमांक

/2013 पुनरीक्षण

R 3555-J/13

बी.सी.एस. को नामांकन, अधिकारी
द्वारा आज दि २५.९.१३ को
प्रस्तुत
कलाई जारी किए
राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

1. मानंद पुत्र फौसू जाटव
2. विसो पुत्री फौसू जाटव
3. रामो पुत्री फौसू जाटव

(फोत) वारिसान-

1. नेकराम पुत्र सामलिया
2. चेतराम पुत्र सामलिया
3. रघुवर पुत्र सामलिया
4. प्रीतम पुत्र सामलिया
सभी निवासी रानीपुरा पहाड़ी
तहसील-सबलगढ़ जिला-मुरैना
5. वैकुण्ठी पुत्र सामलिया पली नेकराम
निवासी-भांगरौल तहसील-सबलगढ़
जिला-मुरैना
6. कंचन वेवा रामप्रसाद
7. जगन्नाथ पुत्र रामप्रसाद
8. कला पुत्री रामप्रसाद
9. उर्मिला पुत्री रामप्रसाद
निवासीगण बैनीपुरा तहसील-सबलगढ़
जिला-मुरैना

विरुद्ध

घनपाल पुत्र फौसू जाटव
निवासी ग्राम-बैनीपुरा

तहसील-सबलगढ़ जिला-मुरैना

अनुक्रियालीय अधिकारी सबलगढ़ जिला-मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक
24/11/12/अपील में पारित आदेश दिनांक 10-09-2013 के विरुद्ध पुनरीक्षण
अंतर्गत धारा-50 म.प्र. मू-राजस्व संहिता 1959.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3555-एक/13

ज़िला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१८ को कलेक्टर, ज़िला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">~ प्रशासकीय सदस्य</p> 	